UPBB010050302019

न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), न्यायालय सं०–46, बाराबंकी।

उपस्थित–असद अहमद हाशमी, एच०जे०एस० (JO Code UP6327)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या –59/2019

सरकार बनाम बसन्त सोनी आदि

मुकदमा अपराध सं०– 116/2017
अं०धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट,
थाना–सतरिख, जिला बाराबंकी।

नि र्ण य

प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण थाना सतरिख, बाराबंकी की पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण बसन्त सिंह सोनी पुत्र बंशीलाल निवासी मो० संगत, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी एवं आनन्द पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम उसरी, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–116/2017, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी में आरोप पत्र अं०धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, के अन्तर्गत प्रेषित कर विचारण के पश्चात दण्डित करने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2017 को समय करीब 17.45 बजे, बहद स्थान भनौली, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी में वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक कन्हैया पाण्डेय व हमराही कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्त आनन्द एवं अन्य सहअभियुक्त बसन्त सिंह को मय मारूती कार 800 नं० UP32 BC 9471 पकड़ा गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर सहअभियुक्त बसन्त सिंह सोनी के कब्जे से 50 ग्राम मारफीन तथा मारूति कार में बैठे अभियुक्त आनन्द की सीट के नीचे से करीब 05 किलो एक पैकेट में अवैध सोडियम बरामद हुआ, जिसे अपने कब्जे में रखने का कोई अधिकार पत्र उनके पास नहीं था। बरामद माल को नियमानुसार सीलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर हमराही कर्मचारी व अभियुक्तगण के अलामात बनवाये गये व गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया।

अभियुक्तगण बसन्त सिंह सोनी एवं आनन्द के विरूद्ध बाद विवेचना धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, में आरोप पत्र सं० 91/2017 दिनांकित 03.08.2017 न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2019 को अपराध के प्रसंज्ञान हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार होने पर अपराध पर प्रसंज्ञान लिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण बसन्त सिंह सोनी एवं आनन्द के विरूद्ध 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप दिनांक 13.08.2021 को विरचित किया गया। अभियुक्तण ने विरचित आरोप को अस्वीकार कर विचारण

Digitally signed by ASAD AHMAD HASHMI
Date: 2025.09.08 16:00:54 IST
Reason: Judgment
Location: ASJ (POCSO Act), Court No.-46, Barabanki.

की याचना की।

दौरान विचारण अभियुक्त बसन्त सिंह सोनी की मृत्यु हो जोने के कारण दिनांक 03.09.2025 को उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पी०डब्लू०–1 का० सत्यवान, वतर्मान तैनाती थाना सतरिख, जिला बाराबंकी, ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ बयानों में पत्रावली पर संलग्न गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं० अ–19 व फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली कागज सं० अ–09 पर बने उपनिरीक्षक कन्हैया पाण्डेय के हस्ताक्षर की शिनाख्त कर क्रमशः प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में तथा कायमी जी०डी० शामिल पत्रावली कागज सं० अ–14 व चिक ए०आई०आर० शामिल पत्रावली कागज सं० अ–7 ता अ–8 पर बने पुलिस का० जितेन्द्र कुमार राय के हस्ताक्षर की शिनाख्त कर क्रमशः प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में, नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज सं० अ–12 व आरोप पत्र शामिल पत्रावली शामिल पत्रावली कागज सं० अ–3 ता अ–6 पर बने उपनिरीक्षक अनीता तिवारी के हस्ताक्षर की शिनाख्त कर क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

अभियुक्त/प्रार्थी आनन्द द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2025 को इस आशय का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के साथ सहअभियुक्त बसन्त सिंह सोनी की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है, मात्र प्रार्थी अकेले मुकदमें का विचारण करा रहा है। प्रार्थी एक बहुत ही गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है और उपरोक्त मुकदमें को लड़ना नहीं चाहता है। अनुरोध किया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमा में पूर्व में बितायी गयी कारागार के समय अवधि को समाहित करते हुए उपरोक्त मुकदमें को अर्थदण्ड के आधार पर निर्णीत करने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०) एक्ट द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपराध की संस्वीकृति करते हुए अभियोजन साक्षी द्वारा सही बयान दिये जाने तथा बिना किसी दबाव के स्वेच्छया जुर्म इकबाल किये जाने का कथन किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०) एक्ट द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 का० सत्यवान, वतर्मान तैनाती थाना सतरिख, जिला बाराबंकी, द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियोजन प्रलेख साबित किये गये है तथा अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है, उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति स्वेच्छया से की गयी है। ऐसी स्थिति में उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति एवं अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा

8 सपठित धारा 21(ख) स्वापक औषिधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध साबित होता है। उक्त के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त आनन्द पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम उसरी, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी को मुकदमा अपराध सं०–116/2017, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी के प्रकरण में अन्तर्गत धारा **8 सपठित धारा 21(ख)** स्वापक औषिधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर सुनने हेतु भोजनावकाश के पश्चात् पत्रावली प्रस्तुत हो।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
न्यायालय सं०–46, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक– 08.09.2025

दिनांक–08.09.2025 भोजनावकाश के उपरान्त

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०) एक्ट को सजा के बिन्दु पर सुना गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०) एक्ट द्वारा तर्क दिया गया कि सहअभियुक्त बसन्त सिंह सोनी के कब्जे से 50 ग्राम अवैध मारफीन तथा अभियुक्त आनन्द के कब्जे से मारफीन किट तैयार किया जाने वाला मादक पदार्थ 05 किलोग्राम अवैध सोडियम एक पैकेट में बरामद होना साबित हुआ है। अतः उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे वह अपनी गरीबी के कारण मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। उसका कोई पैरोकार नहीं है, पहली गलती है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्त में दी गयी तालिका के क्रमांक नम्बर 77 पर मारफीन की लघु मात्रा 5 ग्राम तथा व्यवसायिक मात्रा 250 ग्राम के मध्य है। इस प्रकार अभियुक्त के पास से बरामद माद पदार्थ मारफीन की मात्रा देखी जाये तो वह लघुमात्रा से कुछ अधिक व वाणिज्यिक मात्रा से कम है।

अभियुक्त आनन्द उपरोक्त मामले में जमानत पर है। अभियुक्त गरीब मजदूमरी पेशा व्यक्ति है, उसका कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से साबित नहीं है। **अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में लगभग दो माह कारागार में निरूद्ध रहा है।** अभियुक्त से **बरामद मारफीन किट तैयार किये जाने वाला मादक पदार्थ सोडियम की मात्रा 05 किलोग्राम** है, तथा उसकी आर्थिक एवं परिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना पर्याप्त होगा।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त आनन्द पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम उसरी, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी को मुकदमा अपराध सं०–116/2017, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी के प्रकरण में अन्तर्गत धारा **8 सपठित धारा 21(ख)** स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में उसे इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि तथा मु० **4,000/– (चार हजार)** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियुक्त द्वारा दौरान रिमाण्ड व विचारण जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

माल मुकदमाती अपील होने की स्थिति में सुरक्षित रखा जाये, जो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अध्यधीन होगा। अपील न होने की स्थिति में अपील अवधिक व्यतीत होने के उपरान्त बरामद मादक पदार्थ नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाय व निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के प्राविधान के अनुपालन में मु० 10,000/– (दस हजार) रुपये का स्वीय बंधपत्र इस आशय से दाखिल करेगा कि इस निर्णय के विरूद्ध यदि माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
न्यायालय सं०–46, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक– 08.09.2025

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर सुनाया गया।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
न्यायालय सं०–46, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक– 08.09.2025